न्यायालय –अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफ०टी०सी०, लखीमपुर–खीरी।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 154/2022

कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या– 3509/2022

सी०एन०आर०नं० – यू०पी०एल०पी० 01–007141–2022

सत्यपाल पुत्र मिश्रीलाल , निवासी ग्राम तेंदुआ कंजा , थाना मोहम्मदी , जनपद लखीमपुर खीरी ।

---------- अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र०राज्य विपक्षी।

मु०अ०सं०– 374/2020

अं० धारा– 147, 452, 323, 325, 363, 504, 506 भा०द०सं०।
थाना– मोहम्मदी, जिला–लखीमपुर खीरी।

दिनांक 18–11–2022

प्रार्थी / अभियुक्त सत्यपाल द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता , फौजदारी को सुना एवं समस्त अभियोजन प्रलेख , सम्बन्धित थाना की रिपोर्ट एवं प्रपत्रों व पत्रावली का अवलोकन किया ।

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय सत्र न्यायाधीश के आदेश दिनांकित 18–10–2022 के द्वारा स्थानांतरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ ।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, जिसके समर्थन में उसके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है , के माध्यम से जमानत के आधार में कथन किया गया कि प्रार्थी सर्वदा निर्दोष है तथा प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का अपराध नहीं किया गया है । वादी मुकदमा ने प्रार्थी से कुछ पैसे उधार लिये थे तथा प्रार्थी द्वारा अपना पैसा बार बार मांगने पर वादी मुकदमा द्वारा साजिश के तहत फर्जी कहानी बनाकर प्रार्थी को झूठा फंसाया गया है । प्रार्थी / अभियुक्त पढ़ा लिखा युवक है तथा वर्तमान समय में पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कार्य करता है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा ऐसा कार्य करता है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा ऐसा कार्य संदेहात्मक है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा ऐसा कार्य किया जाना संदेहास्पद है तथा आम समाज में प्रार्थी की सोहरत ठीक है तथा प्रार्थी / अभियुक्त पढ़े लिखे समाज से ताल्लुक रखता है । प्रार्थी / अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है । प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियोजन कथानक बनावटी प्रतीत होता है । प्रार्थी अपनी उचित जमानत देने को तैयार है तथा न्यायालय द्वारा प्रदान की गयी जमानत की सुविधा का दुरूपयोग नहीं करेगा तथा वाद के निस्तारण में न्यायालय का सहयोग करेगा। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थना की है कि गिरफ्तारी की स्थिति में प्रार्थीगण को जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा करें। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में अमन प्रीत सिंह बनाम सी०बी०आई० द्वारा डायरेक्टर , क्रि० अपील नं० 929/2021 में प्रतिपादित सिद्धान्तों पर अपना विश्वास व्यक्त किया है ।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया तथा जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की गयी है ।

प्रस्तुत प्रकरण के आवश्यक तथ्य इस प्रकार है कि घटना दिनांक 18–05–2020 की शाम को लगभग 9 बजे की है , वादी मुकदमा की लड़की / पीड़िता शौच को घर से बाहर गयी थी । जब वह वापस नहीं आयी तो वादी मुकदमा ने नरेन्द्र से पूछा कि उसकी लड़की / पीड़िता कहाँ है , इसी बात से नाराज होकर उसी समय नरेन्द्र , शैलेन्द्र , जंगबहादुर , फकीरे , देवेन्द्र व रामसागर , हरिपाल , सत्यपाल सभी लोग एक राय होकर अपने हाथों में लाठी डन्डा व तमंचा लेकर वादी मुकदमा के घर में जबरन घुस आये । वादी मुकदमा व वादी के पिता व वादी के लड़के सुधीर सभी को मारा पीटा व गन्दी गन्दी गालियाँ दी और जान से मारने की धमकी दी , मार पीट से वादी के पिता व लड़के के गंभीर चोटे आयी ।

न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

अग्रिम जमानत पर सुनवायी के समय निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है –

1– अभियोग की प्रकृति व गंभीरता ,

2– क्या आवेदक का पूर्ववत्त, जिसमें यह तथ्य ही सम्मिलित है कि क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पर पहले ही कारावास भोग चुका है ,

3– आवेदक के न्याय से भागने की संभाव्यता,

4– जहाँ आवेदक को इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमानित करने के आशय से अभियोग लगाया गया हो ।

पत्रावली व केस डायरी का अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त अन्तर्गत धारा 147, 452, 323, 325, 363, 504, 506 भा०दं०सं० का अपराध अभियोजन पक्ष द्वारा अधिरोपित किया गया है । पीड़िता ने बयान अन्तर्गत धारा 164 व अन्तर्गत धारा 161 में यद्यपि यह कथन किया है कि वह अप्रैल में अपने घर से नरेन्द्र के पास चली गयी । उसने और नरेन्द्र ने अपने मर्जी से एक दूसरे के साथ शिव मन्दिर गोला में शादी कर ली । उसके घर वाले उसे मारना चाहते है , इसलिए वह घर छोड़कर नरेन्द्र के पास चली गयी । नरेन्द्र से वह प्यार करती थी। वह नरेन्द्र के साथ रहती है और अपने पति के साथ ही रहना चाहती है । पीड़िता के चिकित्सीय अभिमत में पीड़िता की आयु लगभग 17–19 वर्ष होना पाया गया है , किन्तु केस डायरी में संकलित साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पीड़िता द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मोहम्मदी खीरी में शिक्षा प्राप्त की गयी है तथा उक्त विद्यालय के अभिलेख के अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि दिनांक 03–08–2004 अंकित होना पाया जाता है तथा शैक्षिक अभिलेख में अंकित जन्मतिथि के अनुसार पीड़िता घटित घटना के दिनांक को 17 वर्ष से भी कम होना पायी जाती है । प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त पर यह भी आरोप अधिरोपित किया गया है कि उसके द्वारा अन्य अभियुक्त के साथ प्रथम सूचक व पीड़िता के भाई को लाठी डण्डो से आघात पहुँचाया गया है तथा इन तथ्यों की पुष्टि केस डायरी में संकलित आघात आख्या के अवलोकन से भी होता है । प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 147, 452, 323, 325, 363, 504, 506 भा०दं०सं० का आरोप पत्र प्रेषित किया गया है । चूँकि शैक्षिक प्रमाण पत्र के अनुसार घटित घटना के दिनांक को पीड़िता की आयु 17 वर्ष से भी कम की होना पायी जाती है तथा अभियुक्त द्वारा पीड़िता नाबालिग को उसके प्राकृतिक नैसर्गिक व प्राकृति संरक्षक से कई महीने दूर रखा गया । अतएव प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं व अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का उपर्युक्त आधार नहीं है । अतः अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी / अभियुक्त सत्यपाल का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं० 154/2022 , मु०अ०सं०– 374/2020, अन्तर्गत धारा– 147, 452, 323, 325, 363, 504, 506 भा०द०सं०, थाना मोहम्मदी , जिला लखीमपुर खीरी निरस्त किया जाता है ।

दिनांक 18–11–2022

(अनिल कुमार – VIII)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /
एफ०टी०सी० , लखीमपुर खीरी ।
जे०ओ०कोड –यू०पी० 6492